हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/26 को पेश हो।	
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थिया हाजिर। प्रार्थना पर तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि खा० किसान है। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 17/2025

1. विरमादेवी पत्नि प्रेमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
.....प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—08.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1923/0.18, 1924/0.19, 1925/0.06, 1926/0.05, 1883/0.68 वाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में स्थित है। प्रार्थिया के पति का सही व शुद्ध नाम प्रेमचन्द है परन्तु प्रार्थिया की आराजी के उक्त खातों के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में प्रार्थिया के पति का नाम प्रेमचन्द के स्थान पर प्रेमसिंह गलत व अशुद्ध दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थिया के पति का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में प्रेमचन्द ही दर्ज है और प्रार्थिया के पति को गांव के लोग प्रेमचन्द के नाम से जानते है और पुकारते है। प्रार्थिया के पति प्रेमचन्द की खुद की खातेदारी की भी कृषि भूमि गांव कुरका में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थिया के पति का नाम प्रेमचन्द दर्ज हो रहा है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में अपने पति के अशुद्ध नाम प्रेमसिंह के स्थान पर सही व शुद्ध नाम प्रेमचन्द दर्ज कराने वावत् दिनांक 27.10.2025 को तहसीलदार उच्चैन से निवेदन किया तो उन्होंने प्रार्थिया के पति का सही एवं शुद्ध नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया एवं न्यायालय श्रीमान से शुद्धि आदेश लाने वावत् हिदायत दी थी। जिसके कारण प्रार्थिया ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया गया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2006 में केता विरमा देवी पत्नी प्रेमसिंह जाति ब्राह्मण निवासी कुरका के नाम से भूमि क्रय की गई थी। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर ही विरमा देवी पत्नी प्रेमसिंह जाति ब्राह्मण निवासी कुरका के नाम जरिये नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज हुआ है।

अभिभाषक प्रार्थिया की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रर्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया के पति का सही व शुद्ध नाम प्रेमचन्द है परन्तु प्रार्थिया की आराजी के उक्त खातों के राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में प्रार्थिया के पति का नाम

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रेमचन्द के स्थान पर प्रेमसिंह गलत व अशुद्ध दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थिया के पति का नाम अन्य सभी दस्ताबेजात में प्रेमचन्द ही दर्ज है और प्रार्थिया के पति को गांव के लोग प्रेमचन्द के नाम से जानते है और पुकारते है। प्रार्थिया के पति प्रेमचन्द की खुद की खातेदारी की भी कृषि भूमि गांव कुरका में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थिया के पति का नाम प्रेमचन्द दर्ज हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का सही एवं शुद्ध नाम प्रेमचन्द दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, जबाव तहसीलदार उच्चैन एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत् 2075–2078, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की अंक–तालिका सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1980 एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई भी राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके की प्रार्थिया के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मचारियों के द्वारा गलत किया गया है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत जबाव से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.02.2006 में केता विरमा देवी पत्नी प्रेमसिंह जाति ब्राह्मण निवासी कुरका के नाम से भूमि कय की गई थी। रजिस्टर्ड वयनामा के आधार पर ही विरमा देवी पत्नी प्रेमसिंह जाति ब्राह्मण निवासी कुरका के नाम जरिये नामान्तरकरण रिकार्ड में दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया के पति के नाम उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरए के तहत शुद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रार्थिया रजिस्ट्रर्ड विकय पत्र दिनांक 15.02.2006 में अपने पति का नाम शुद्ध कराने हेतु उपपंजीयक उच्चैन के समक्ष शुद्धि पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसौलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)